कार्यवृत्त

मंगलवार, 17 पौष, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 07 जनवरी, 2020)

खण्ड–55

अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर मा0 सदस्य श्री करन माहरा एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2004 से पूर्व की भांति पेंशन एवं भत्ते लागू किए जाने के मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किए जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिए जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गए, जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण किए जाने अनुरोध किया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य 'वेल' में अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नियम–310 में चर्चा कराए जाने की पुनः मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने पर भी मा0 नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य नियम–310 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा वे नियम–310 की इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। तत्पश्चात् विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये, उत्तर दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची के हमारे सभी प्रश्न उत्तरित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं, जो सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :–

1. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"	समस्त जनपद हरिद्वार क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने एवं कुम्भ क्षेत्रों के कार्यों हेतु जिला पंचायत हरिद्वार को कार्यदायी संस्था घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री प्रीतम सिंह पंवार	टिहरी बांध जलाशय में प्रभावित गांवों के काश्तकारों को आने–जाने हेतु फेरी बोट संचालन बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री राजकुमार ठुकराल	उत्तराखण्ड में नजूल भूमि में निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व दिल्ली के तर्ज पर मालिकाना हक दिए जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा क्षेत्र बनबसा में गैस गोदाम न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

6. श्री देशराज कर्णवाल	उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण विगत वर्षों से दिया जा रहा था, उसे पूर्व की भांति यथावत रखे जाने की मांग के सम्बन्ध में।
7. श्री नवीन चन्द्र दुम्का	नगर निगम हल्द्वानी के इन्दिरानगर व उनके आस पास की आबादी के कच्चे शौचालयों की गन्दगी व अपशिष्ट पदार्थों का पानी सिंचाई विभाग के सिस्टम में हल्द्वानी मंड़ी गेट पर गिरने से लालकुआं के 18 ग्राम पंचायतों के 55 गांवों के जलाशय प्रदूषित होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
8. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट व देवायल में डेंटल चेयर व जरूरी संसाधनों की कमी होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
9. श्री उमेश शर्मा काऊ	मै0 ई0 एम0 एस0 इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0, सी–88, आर0 डी0 सी0 राजनगर, गाजियाबाद द्वारा रायपुर विधान सभा क्षेत्र के रिस्पना नदी में सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य सन्तोषजनक न होने व कतिपय अनियमितताएं किए जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में सीवर लाईन की स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में।
11. श्री महेश सिंह नेगी	राज्य में उपनल से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन का प्रविधान लागू न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
12. श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट से नारायण नगर एवं तहसील डीडीहाट एवं महाविद्यालय नारायण नगर को जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण न होने से से जनता द्वारा आन्दोलन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
13. श्री प्रीतम सिंह	प्रदेश में नेशनल हाईवेज से दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
14. श्री मनोज रावत	प्रदेश में बन्द पड़ी यू हेल्थ कार्ड योजना को राज्य कर्मचारी हित में पुनः लागू किए जाने के सम्बन्ध में।
15. श्रीमती ममता राकेश	बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर से सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रदेश के स्कूलों में लागू किए जाने के सम्बन्ध सम्बन्ध में।
16. श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत जमरानी बांध बनने से डुब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के एक सदस्य को नौकरी न दिए जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

17. श्री राजेश शुक्ला — प0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के शिक्षकों द्वारा हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार घोषित करने से विश्वविद्यालय का शोध एवं शिक्षण कार्य प्रभावित होने से हजारों छात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम रायपुर में बारात घर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जोगिन्द्र पुत्र श्री रामदास, ग्राम रायपुर, पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम रायपुर में राजकीय विद्यालय का उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में'' श्री भोला पुत्र श्री सगत, ग्राम रायपुर, पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानकपुर में श्मशान घाट की चाहरदीवारी के सम्बन्ध में'' श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रहतुलाल, ग्राम व पो0 मानकपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानकपुर में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री वेदपाल सैनी पुत्र श्री टिक्का सिंह, ग्राम मानकपुर, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बेहड़की सैदाबाद में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री विकास पुत्र श्री सागर ग्राम बेहड़की सैदाबाद, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 06 जनवरी, 2020 की बैठक में दिनांक 07 जनवरी, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

07 जनवरी, 2020

(1) औपचारिक कार्य।

(2) विधायी कार्य।

मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

''यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।'' **(02 घण्टा)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री मनोज रावत की 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती ममता राकेश, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री मनोज रावत की सूचनाएं स्वीकार की गईं शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सेविकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

एन0सी0सी0 प्रशिक्षण एकेडमी को विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के श्रीकोट के माल्डा गांव से अन्यत्र स्थापित न किए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह द्वारा नियम–58 में दी गई सूचना लिए जाने का अनुरोध किया, इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा है कि तथ्य विपरीत हैं, वह अलग है, तो प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर आया है, आप उसका स्पष्टीकरण ले सकते हैं, लेकिन यह विषय जो हमारी उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 की जो हमारी पुस्तिका है उसके अकॉर्डिंग यह तय है, जो विषय सदन में सेम है, उसमें यदि प्रश्न के माध्यम से, कार्य–स्थगन के माध्यम से, नियम–310 के माध्यम से या अन्य माध्यम से उत्तरित हो जाता है, तो तब उसको पुनः लिए जाने की परम्परा नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इस विषय को लिए जाने का अनुरोध किया गया, इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसको बाद में ले लेंगे।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर स्थित सिडकुल क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों एवं मैकेनिकों की कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ममता राकेश तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए तथा श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बन्द पड़ी यू–हेल्थ कार्ड योजना को राज्य कर्मचारियों के हित में पुनः लागू किए जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने अपने विचार व्यक्त किए तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 02 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री मनोज रावत का नाम पुकारे जाते ही मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश यह कहता है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न उत्तर हेतु स्वीकार किए जा चुके हों और जो सत्र के दौरान सदन में अनुत्तरित रह गए हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो गए हों, उन सबके लिखित उत्तर सम्बन्धित शासकीय विभागों द्वारा एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्य के पास सीधे–सीधे प्रेषित किए जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप सत्रावसान की तिथि से एक महीने तक कोई भी सदस्य प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। मान्यवर किन कारणों से यह सदन हुआ और सत्रावसान नहीं हुआ? फास्टट्रैक में किस तिथि तक यह सरकार सत्रावसान कर पाएगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम एक महीने के समय तक प्रश्न नहीं लग पाएंगे। मान्यवर, यदि सवाल लगते हैं तो उसमें भी नियमावली के पेज –20 में उल्लिखित है कि तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम पूरे 20 दिन पूर्व दी जाएगी। मान्यवर, फास्टट्रैक में यदि 10 जनवरी तक भी सत्रावसान करते हैं तो 10 फरवरी तक सवाल नहीं लग पाएंगे और यदि फरवरी में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार गवर्नर एड्रेस और बजट लाएगी तो सवालों को लगाने का समय माननीय सदस्यों को कब मिलेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सत्रावसान को एक महीने तक शिथिल करने का आप कष्ट करें और सरकार को भी निर्देशित करें कि अनप्लांड तरीके से सदन आहूत न करें और सरकार को भी निर्देशित करें,क्योंकि एक हाउस से दूसरे हाउस के बीच में ऐसा इन्टरवल होगा, तो उससे सवाल लगने में असुविधा होगी और सवाल लगाने का समय माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने सत्रावसान और सत्र कब किया जाएगा इस सम्बन्ध में कहा, चूंकि पहले से सत्र आहूत किया गया था और इस बीच में सत्रावसान होने के लिए हमारी कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई और इस बीच में भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया तो इसलिए इस बीच में एक दिन का सत्र आहूत किया है। मान्यवर, एक महीना पूरा होने पर यदि माननीय सदस्य प्रश्न लगाते हैं तो सरकार के पास इतना समय होगा कि उसका उत्तर सही प्रकार दे सकती है, लेकिन समस्या यह है कि आज भी चार सवाल लगे हैं, वह भी सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के पास मुद्दे तो हैं नहीं।

मा0 सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यह सत्र आज एक दिन का आहूत नहीं हुआ है यह कंट्यूनिएशन में है इसका सत्रावसान हुआ ही नहीं है। मान्यवर, इसे व्यवस्था के रूप में अस्वीकार करने का कष्ट करें। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि शिथिलता का अधिकार पीठ को है, इसका उसी अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे।

राज्य की कथित वन भूमि से कब्जा छुड़ाने और वन अधिकार कानून लागू न करने के सम्बन्ध में श्री मनोज रावत ने अपने विचार व्यक्त किए।

02 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

एन0सी0सी0 प्रशिक्षण एकेडमी को विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के श्रीकोट के माल्डा गांव से अन्यत्र स्थापित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–58 में दी गई सूचना पर श्री प्रीतम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2004 से पूर्व की भांति पेंशन एवं भत्ते लागू किए जाने के मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किए जाने के सम्बन्ध में श्री करन माहरा एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर श्री करन माहरा ने अपने विचार व्यक्त किए।

04 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किएः–

1. श्री प्रीतम सिंह,
2. श्री हरभजन सिंह चीमा,
3. श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल,
4. श्री हरीश सिंह,

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।''

नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किएः–

1. श्री जार्ज आईवान ग्रेगॅरी मैन,
2. श्री महेन्द्र भट्ट,
3. श्री देशराज कर्णवाल
4. श्री शक्ति लाल शाह,
5. श्री चन्दन राम दास
6. श्री मुकेश सिंह कोली
7. श्रीमती ममता राकेश,

श्रीमती ममता राकेश के भाषण के मध्य ही मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के बोलने पर नेता प्रतिपक्ष तथा श्रीमती ममता राकेश को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। इस पर श्री अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किए जाने पर 'वेल' में खड़े सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस आ गए।

मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश के भाषण से पुनः चर्चा आरम्भ हुई ।

8. श्री प्रीतम सिंह,
9. श्रीमती मुन्नी देवी शाह,
10. श्री राम सिंह कैड़ा,
11. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण,
12. श्री करन माहरा,
13. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,

''यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।'' **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं। वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं

सुल्याखोल–नौगांव गोडर (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार,

विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के तीन प्रमुख सड़क मार्गों का निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस श्री राजकुमार ठुकराल,

जनपद चमोली में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कालेज इंजीनियरिंग कालेज गोपेश्वर को शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में संचालित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के अन्तर्गत योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत् कार्मिकों को वेतन वृद्धि/विभागीय भर्तियों में समायोजित करने तथा उ0प्र0 की भांति ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सफाई कर्मियों को मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम सभावार नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज कर्णवाल,

विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के बनबसा में आई0टी0आई0 के भवन न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी,

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के सभी विकासखण्डों में आधार केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने के सम्बन्ध मे श्रीमती ममता राकेश,

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे में स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्षों बीत जाने के बाद भी पूर्ण न हो पाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में खेल स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास,

देहरादून को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित होने पर केन्द्र द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि एवं विभिन्न प्रोजेक्टों पर व्यय धनराशि का विवरण उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्घ में श्री उमेश शर्मा काऊ,

कपकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल,

विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत जमरानी बांध बनने से डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन कब्जेधारकों के नाम न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राम सिंह कैड़ा की सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकृत किया गया।

जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन की ओर से रुड़की पब्लिक स्कूल से होते हुए हिमालय होटल एवं मधुरपुरम से ग्राम शेरपुर व हिमालय होटल तक नाले का निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के राजकीय इण्टर कालेज थालाबैंड में इण्टर में गणित विषय की स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 5 बजकर 50 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।